# न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

## पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व अपील संख्या :– 01/2018

अपीलांट :–

श्रीमती कमला पत्नि दयाराम जाति जाट निवासी चौकड़ी खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. नरसिंगराम पुत्र गोपाराम
2. कानाराम पुत्र गोपाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र मंगाराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 रमेश पुत्र ओमप्रकाश
   3/2 सिकंदर पुत्र ओमप्रकाश
   3/3 शांति पत्नि ओमप्रकाश
   3/4 ममता पुत्री ओमप्रकाश पत्नि सुभाष
   3/5 प्रेमलता पुत्री ओमप्रकाश पत्नि यशपाल
   3/6 पूजा पुत्री ओमप्रकाश नाबालिग कुदरती वली माता संरक्षक शांति
   सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
   3/7 सेटुड़ी पुत्री ओमप्रकाश पत्नि मूलसिंह डूडी जाति जाट निवासी ग्राम रतकूड़िया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर ।
4. बदकी पत्नि छोगाराम जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
5. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1160 जो ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा दिनांक नामालुम को पारित किया गया ।**

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री मन्सुर अली छीपा अपीलांट की ओर से
श्री राजेन्द्र देवड़ा रेस्पोडेन्टस की ओर से

## निर्णय

दिनांक : 21.06.2019

अपीलांट ने राजस्व अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरण संख्या 1160 जो ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा स्वीकृत किया गया प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलांट ने मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम खांगटा पटवार क्षेत्र खांगटा,तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 601 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा,खसरा नंबर 930 रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा,खसरा नंबर 933 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा,खसरा नंबर 2355 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा,खसरा नंबर 2435 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा,खसरा नंबर 2458 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा,खसरा नंबर 2535 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा,खसरा नंबर 2639 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा,खसरा नंबर 2894 रकबा 09

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

बीघा 11 बिस्वा कुल खसरे 09 कुल रकबा 80 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 366 पर इन्द्राज है तथा अपीलांट ने स्व. लिछमणराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट का सजरा खानदान अंकित करते हुए अंकन किया कि अपीलांट स्व. लिछमणराम की पौत्री है तथा नामांतरण संख्या 1160 लिछमणराम के फोत होने के बाद फौतगी नामांतरण भरा गया है जिसमें लिछमणराम के दो जाईन्दा पुत्र गोपाराम,मगाराग के भी फोत होने से उनके विधिक वारिसान का नामांतरण साथ में भरा गया है व अपीलांट के पिता छोगाराम जो कि लापता है जिन्हे भी मृत बताते हुए नामांतरण भरा गया है जिसमें अपीलांट का नाम संयोजित नहीं किया गया है व अपीलांट की माता के नाम से नामांतरण भरते हुए स्व. छोगाराम के कोई वारिस नहीं होना नामांतरण में अंकन किया गया है साथ ही स्व. गोपाराम व मगाराम की पुत्रियों का नाम व गुटीदेवी पुत्री लिछमणराम का नाम भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया है व विधिक वारिसानों को पीछे छोड़ते हुए आधे अधूरे वारिसान के नाम नामांतरण भरा गया है जिससे रूश्ठ होकर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करते हुए अपील के आधारो में अंकन किया कि नामांतरण संख्या 1160 मनमाने व फर्जी रूप से भरा गया है जिसमें कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की गई है एवं स्व. लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी व पुत्र मगाराम व गोपाराम की पुत्रियों के नाम व लापता छोगाराम की पुत्री अपीलांट का नाम वादग्रस्त आराजी में वारिसान के रूप में इन्द्राज नहीं किया गया है जिससे वह खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रही है तथा भू अभिलेख निरीक्षक ने नामांतरण संख्या 1160 में स्पष्ट रूप से स्व. लिछमणराम के सभी विधिक वारिसान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की टिप्पणी की हुई है जो प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके बावजूद नामांतरण संख्या 1160 स्वीकार किया गया है व अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी होने से व अपने पिता छोगाराम के 1/4 हिस्से में अपना हक व हिस्सा निहित होने से व अपने हक हिस्से में कब्जा काश्त होना बताते हुए नामांतरण संख्या 1160 को निरस्त करने हेतु अपील करना बताया व दिनांक 25.12.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट को काश्त करने से मना करने की धमकियां देना अंकित किया है व अनपढ तथा अज्ञानतावशं राजस्व रेकर्ड की नकले पूर्व में प्राप्त नहीं किये जाने का कथन करते हुए दिनांक 27.12.2017 को हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करना अंकित किया है व उक्त अपील को जानकारी से व राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त होने से अंदर म्याद बताते हुए वादग्रस्त आराजी में स्व. लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी व पुत्र गोपाराम व मगाराम की पुत्रियों व स्वयं का नाम इन्द्राज नहीं होने से नामांतरण संख्या 1160 खारिज किये जाने का अंकन किया व भूमिधारी को स्व. लिछमणराम के सभी विधिक वारिसान के नाम से नामांतरण स्वीकार किये जाने का अपील में अंकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकन किया कि अपील मजबूत आधारों पर प्रस्तुत की गई है व अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 25.12.2017 को बेदखल करने की धमकियां देने से व दिनांक 27.12.2017 को हल्का पटवारी से वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने से वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का नाम इन्द्राज नहीं होने की जानकारी प्राप्त होना अंकन किया व दिनांक 30.12.2017 को नामांतरण संख्या 1160 की हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने का अंकन किया व अपीलांट ने अपने आप को अनपढ़ व गरीब कास्तकार महिला बताते हुए व अपने पिता छोगाराम को लापता बताते हुए तथा अपने पिता को जबरन मृतक बता कर नामांतरण भरने का अंकन करते हुए उक्त अपील को न्यायहित में अंदर म्याद मान सुनवाई किये जाने का निवेदन किया।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/7 व रेस्पोडेंट संख्या 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर प्रारम्भिक आपत्तियां मय जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 तथा मगाराम पुत्र लिछमणराम व बदकी पत्नी छोगाराम के नाम से है तथा खसरा संख्या 2435 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा का बेचान केवलचंद कोठारी जैन गौशाला खांगटा को दान किया गया है जिसके नामांतरण संख्या 1261 है व अपीलांट द्वारा पेश सजरा खानदान को गलत बताते हुए अंकन किया कि नामांतरण संख्या 1160 पूर्ण जांच पड़ताल के बाद स्वीकृत किया गया है व अपीलांट अपने ससुराल चौकड़ी खुर्द में रहती है व नामांतरण संख्या 1160 लगभग 25 वर्श पूर्व भरा गया है उस समय पिता की सम्पति में पुत्रियों का हक नहीं होना अंकन करते हुए स्वयं का कब्जा एवं काश्त होने का अंकन किया है व म्याद बाहर अपील होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है तथा उक्त अपील में स्व. लिछमणराम के सभी विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाने से उक्त अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया व 25 वर्षो बाद अपील करने से अपील को म्याद बाहर मान खारिज करने का निवेदन किया व ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाने से उक्त अपील को खारिज करने का अंकन किया तथा दिनांक 25.12.2017 को अपीलांट को किसी प्रकार की धमकियां नहीं देने का अंकन किया व राजस्व रेकर्ड में लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी का नाम उसकी सहमति से इन्द्राज नहीं किये जाने का अंकन किया व स्व. लिछमणराम जी के फौत हो जाने के पश्चात मगाराम की पुत्रियों का नाम उनके

उपखण्ड अधिकारी
...शहर (जोधपुर

पिता के जीवित रहने से इन्द्राज नहीं किये जाने का अंकन किया व उक्त अपील को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का अंकन किया।

वकील अपीलांट व वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की अपील पर बहस व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील ज्ञापन में अंकित वजुहातो को दोहराते हुए बताया कि नामांतरण संख्या 1160 सरसरी तरीके से भरा गया है जिसमें स्व. लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी का नाम व स्व. गोपाराम व मानाराम की पुत्रियों के नाम इन्द्राज नहीं किये गये है व अपीलांट के पिता आज दिनांक तक जीवित है या मर गये इसका कहीं प्रमाण नहीं है व अपीलांट के पिता को मृत घोषित करने के लिए सिविल न्यायालय पीपाड़ शहर में मृत घोषित करने का दावा कर रखा है ऐसी स्थिति में अपीलांट के पिता को मृत बता कर उनके पीछे कोई वारिस नहीं होना अंकन कर नामांतरण में केवल अपीलांट की माता का नाम इन्द्राज किये जाने का कथन किया व नामांतरण संख्या 1160 को स्वीकार करने से पूर्व सभी विधिक वारिसानों की विधि सम्मत जांच किये बिना नामांतरण को स्वीकार करना बताया उक्त नामांतरण को स्वीकार करने की सभी विधिक प्रकिया को दुशित बताते हुए नामांतरण संख्या 1160 को खारिज किये जाने का निवेदन किया व म्याद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा अपीलांट अनपढ़ व घरेलु महिला है जिसे रेस्पोडेंट 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की दिनांक 25.12.2017 को धमकियां देने पर जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी में उसका नाम नहीं है व जानकारी होते ही राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर अपील को अविलम्ब पेश किया है इसलिए अपील को अन्दर म्याद मान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया व नामांतरण संख्या 1160 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अंकन किया कि अपीलांट ने अपील नामांतरण स्वीकृत होने के 25 वर्षो बाद पेश की है तथा स्व. लिछमणराम के सभी विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है व सजरा खानदान गलत प्रस्तुत किया है तथा नामांतरण संख्या 1160 जिस समय स्वीकार किया गया उस समय पुत्रियों को अपने पिता की सम्पति में हिस्सा प्राप्त करने का विधिक अधिकार नहीं था व स्व. लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी का नाम उसकी सहमति से नामांतरण को भरे जाने से नाम म्यूटेशन में इन्द्राज नहीं किया जाना बताया तथा उक्त अपील को म्याद बाहर व गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा वकील अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से अंकन किया गया है कि नामांतरण संख्या 1160 को स्वीकार करते समय स्व. लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी का नाम नामांतरण में इन्द्राज नहीं किया गया है व स्व. गोपाराम व मगाराम की पुत्रियों का नाम भी इन्द्राज नहीं किया गया है व अपीलांट के पिता छोगाराम को मृत बताते हुए नामांतरण स्वीकार किया गया है जिसमें छोगाराम के कोई जाईन्दा संतान नहीं होना बताया गया है जबकि अपीलांट ने अपने आप को छोगाराम की जाईन्दा संतान होना बताया है व अपीलांट ने अपने पिता को मृत घोषित करने के लिए सिविल न्यायालय पीपाड़ शहर में वाद पत्र पेश किया जाना बताया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण संख्या 1160 में लिछमणराम पुत्र शिवजीराम जाति जाट के फौत होने से उसके स्थान पर उसके पुत्र मगाराम का नाम नामांतरण में इन्द्राज किया गया है साथ ही गोपाराम के फौत होने से उसके जाईन्दा पुत्र ही होना बताते हुए नरसिंगराम व कानाराम का नाम इन्द्राज किया गया है तथा छोगाराम को मृत बताते हुए व जाईन्दा कोई संतान नहीं होना दर्शाते हुए अपीलांट की माता रेस्पोडेंट संख्या 5 के नाम से नामांतरण स्वीकार किया गया है तथा नामांतरण में भू अभिलेख निरीक्षक ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के विनम्र मत में यह स्पष्ट है कि अपीलांट स्व. लिछमणराम की पौत्री है व छोगाराम की पुत्री है व वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है तथा पैतृक भूमि में दादा की सम्पति में पौत्री का विधिक अधिकार है व नामांतरण संख्या 1160 में छोगाराम को नाऔलाद फौत होना दर्शाया है जबकि अपीलांट छोगाराम की पुत्री है जिसे रेस्पोडेंट ने स्वीकार किया है व खण्डन नहीं किया है ऐसी स्थिति में छोगाराम को नाऔलाद बता कर रेस्पोडेंट का नाम नामांतरण संख्या 1160 में इन्द्राज नहीं करना व स्व. लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी का नाम भी इन्द्राज नहीं करना गंभीर त्रुटि है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। भू अभिलेख नियमावली के तहत सामान्य प्रकिया में फोतेदगी नामांतरण स्वीकार करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसानों की पूर्ण जांच कर उन्हे सुनवाई का मौका दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए जबकि अवैधानिक तरीके से नामांतरण संख्या 1160 को भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी को नजर अंदाज कर बिना उत्तराधिकारियों की जांच किये नामांतरण संख्या 1160 इन्द्राज किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत अपील के म्याद के सम्बंध में न्यायालय के विनम्र मत में विधिक व प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अपने हक के लिए जानकारी के दिन से ही

Scanned by CamScanner

धाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। मात्र म्याद के बिन्दू पर विधिक उत्तराधिकारी को सरसरी तौर से भरे गये गलत नामांतरण के आधार पर उसके खातेदारी अधिकारो से उसे वंचित नहीं किया जा सकता इसलिए म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर म्याद मानते हुए निर्णित किया जाता है।

अतः न्यायालय के विनम्र मत में अपीलार्थी छोगाराम की जाईन्दा पुत्री है व प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा बिना किसी विधिक प्रकिया के फौतेदगी नामांतरण में अपीलांट का नाम इन्द्राज करने से अपीलांट को वंचित नहीं रखा जा सकता है व नामांतरण संख्या 1160 में स्व. लिछमणराम की पुत्री गुटीदेवी व पुत्र स्व. गोपाराम व मगाराम की पुत्रियों का नाम भी इन्द्राज नहीं किया गया है। उक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ तहसीलदार पीपाड़ शहर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में स्व. लिछमणराम पुत्र षिवजीराम, जाति जाट निवासी ग्राम खांगटा के सभी विधिक उत्तराधिकारियों की पूर्ण जांच कर एवं उन्हे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner